(5)

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

संख्या सा–3–628/दस–935/78

लखनऊ, 16 अप्रैल, 1981

कार्यालय-ज्ञाप

राज्य के पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर्ताओं को अतीत में शासकीय कार्यालय ज्ञाप संख्या सा–3–1949/दस–935-78, दिनांकित 21 जून, 1979 द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 1979 से, तथा शासकीय कार्यालय ज्ञाप संख्या सा–3–1913/दस–935/78, दिनांकित 15 नवम्बर, 1980 द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 1980 और 1 अप्रैल, 1980 से, उनकी पारिवारिक पेंशनों पर उन्हीं दरों पर राहत और अतिरिक्त राहत अनुमन्य की गई जो उक्त तिथियों से राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों को स्वीकृत की गई थी। उपर्युक्त शासनादेशों में ऐसे पारिवारिक पेंशनरों को, जो किसी सरकारी या गैर सरकारी विभाग/कार्यालय अथवा संस्था में नियुक्त हों, राहत की देयता के संबंध में कोई प्रतिबन्ध नहीं था।

2––अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विषय में शासन द्वारा पुनर्विचार किया गया है और राज्यपाल महोदय ने सहर्ष आदेश प्रदान किये हैं कि उपर्युक्त स्वीकृत राहत/अतिरिक्त राहत तथा पारिवारिक पेंशन पर जो राहत भविष्य में स्वीकृत की जाय, ऐसे पारिवारिक पेंशनरों को देय नहीं होगी जो किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग/कार्यालय में अथवा राज्य सरकार या/तथा केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी सार्वजनिक कम्पनी/निगम/उपक्रम अथवा स्वायत्तशासी प्रतिष्ठान अथवा स्थानीय निधि/निकाय अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक में नियुक्त हों। सरकारी क्षेत्र के कम्पनी/निगम/उपक्रम आदि से तात्पर्य उन उपक्रमों आदि से होगा जिनमें केन्द्रीय या/तथा किसी राज्य सरकार/सरकारों

[क्र० पृ० उ०

वित्तीय योगदान कम से कम उसकी आधी आय या शेयर पूंजी तक । इनमें वे कम्पनी/निगम/उपक्रम भी शामिल हैं जो किसी सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी हैं ।

3--यह आदेश इस शासनादेश के दिनांक से प्रभावी होंगे ।

4--कृपया इस शासनादेश की प्राप्ति स्वीकार की जाय ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

राज कुमार दर
वित्त सचिव ।

संख्या सा-3-628(1)/दस-935-78 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

1--प्रचिवालय के समस्त अनुभाग,

2--महालेखाकार, उत्तर प्रदेश-3, पेंशन आडिट विभाग (पेंशन समन्वय अनुभाग), इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे इस संबंध में समस्त कोषाधिकारियों को अविलम्ब निर्देश जारी करने का कष्ट करें और शासन को भी अवगत करावें ।

आज्ञा से,

बसन्त लाल शाह
संयुक्त सचिव; वित्त ।

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० 10 सा० (भाषा)-11-5-81-(432)-1981-10,000 (हि०) ।